फर्द अहकाम

नियम 26

[illegible]ा अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

महेन्द्रसिंह बनाम धनकौर आदि

[illegible]कदमा 212 आरटीएक्ट नं० 65/19.07.22 सन् 2022

[illegible]कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
[illegible].22	प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का पेश किया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, बहस पर मनन करने एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे अपना जवाब पस्तुत होने तक तक वादाधीन रकबा तहसील भादरा के रौही मौजा धोलपालिया के खाता सं0 31/112 के खसरा सं0 88, 144, 147, 196, 253 की कुल 7.2080है0 बारानी में प्रार्थी के नाम दर्ज 1/7 हिस्सा में किसी भी प्रकार से स्वंय व अपने आदमियों के द्वारा प्रार्थी के कब्जा कास्त में दखलदांजी ना करे । वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करते हुए अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्ट्रर डाक से करवायी जाकर रसीदें 3 दिवस में पेश की जावें। इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23.08.2022 को पेश हो। [signature]	
23/8/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर दि 21/9/22 को पेश हो। [signature]	
7/10/22	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 9.12.22 को पेश हो। [signature]	
9/12/22	~~पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप., पत्रावली अप्रार्थी की तलबी हेतु दिनांक 6/2/23 को पेश हो~~ [signature]	
[illegible]/02/23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वास्ते तलबी दिनांक [illegible] [signature]	
16/03/23	पत्रावली पेश हुई बार सघं का कार्य स्थगित है। गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 17/4/23 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:06:04 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	न… फ… हु…
10/9/25	वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। चूंकि प्रार्थना-पत्र 212/RTA से संबंधित मूल वाद का निस्तारण हो जा चुका है अतः प्रार्थना पत्र 212/RTA स्वतः ही औचित्यहीन होने के कारण पत्रावली में दिनांक 19.7.22 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए पत्रावली को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर है। (KALPIT SHIVRAN) उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:06:04 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner